


फर्द अहकामे

प्रकरण सं० 71/2019

पुकारा

बनाम श्री

विश्वनाथ

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/5/2025	<p>पत्रावली पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली व पत्रावली के समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। इस मौजूदा प्रार्थनापत्र बाधत्त स्थगन में राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने वाढत प्राथी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12-03-2020 से जारी की गई। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या विपक्षीगण की दलीलों को बिना सुने जारी की गई। अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेशिका दिनांक 12-03-2020 में स्पष्ट रूप से जल्लेखित किया हुआ है कि जारी स्थगन आगामी सुनवाई दिनांक 09-06-2020 तक ही प्रभावी रहेगा। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्थगन आगे बढ़ाये जाने बाबत कोई युक्ति युक्त कारण नही अवगत कराये।</p> <p>अतः इस मौजूदा प्रार्थनापत्र खारीज जाता है । पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपस्थित अधिकारी</b>  <b>हमीरगढ़ (राज.)</b> </p>	